

स्कूल और भाषायी व्यवहार

लता पाण्डे*

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं—

- भेदभाव विहीन, शारीरिक व मानसिक यातना रहित शैक्षिक माहौल का अधिकार
- विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का अधिकार
- आर्थिक ज़रूरतों के कारण आयु व क्षमता के विपरीत प्रतिकूल शारीरिक श्रम से सुरक्षा का अधिकार
- समानता के साथ समान अवसर व सुविधा का अधिकार
- सामाजिक अन्याय एवं बंधुआ मज़दूरी से सुरक्षा का अधिकार
- शोषण, अपमान, अमानवीय व्यवहार व उपेक्षा से बचाव का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के लागू होने के परिणामस्वरूप

बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हो रहा है, गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो मिल गया लेकिन क्या उन्हें अन्य अधिकार मिल रहे हैं? क्या हमारे विद्यालय, हमारी कक्षाओं का वातावरण भेदभाव विहीन, शारीरिक तथा मानसिक यातना रहित है? क्या हमारी कक्षाओं में सभी बच्चों को समानता के समान अवसर प्राप्त होते हैं? क्या हमारी कक्षाओं में बच्चों को शोषण, अपमान, अमानवीय व्यवहार व उपेक्षा से बचाव का अधिकार प्राप्त है?

यह सच है कि शिक्षा का अधिकार – अधिनियम के लागू होने के बाद से विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड नहीं दिया जाता लेकिन क्या भावनात्मक रूप से बच्चे आहत नहीं होते हैं?

विगत कई वर्षों में परिषद् की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने के दौरान कई विद्यालयों (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही) में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर कई बार बच्चों के साथ शिक्षकों का जो भाषायी व्यवहार देखा तो कभी उन शिक्षकों पर क्रोध आया,

* प्रोफ़ेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली-110016

कभी बच्चों की लाचारगी पर दया आयी, तो कभी बच्चों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले शिक्षकों का विरोध करने पर उनके क्रोध का दंश भी झेलना पड़ा। कई बार मन में यही बात उठी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे कई शिक्षक साथी आज भी जाति, धर्म, जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों तथा दुराग्रहों से ग्रस्त हैं। कई बार ऐसा भी महसूस हुआ कि इनकी व्यक्तिगत कुंठा और कुढ़न का शिकार मासूम बच्चे बन जाते हैं।

एक बार एक विद्यालय में गई। वहाँ मैं अपनी सहकर्मियों के साथ बैठी थी। तभी प्रिंसिपल के कक्ष में दो शिक्षक एक ग्यारहवीं कक्षा के छात्र को बुरी तरह डाँटते हुए लाए। उस लड़के को देखते ही प्रिंसिपल की तयोरियाँ चढ़ गईं। उन्होंने उसे डाँटना शुरू कर दिया, “तो अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई। स्कूल से भागकर बदमाशी करते हो। अभी स्कूल से निकालता हूँ।” उस छात्र को स्कूल से निकालने की कार्यवाही शुरू होती, इसके पहले हमारी एक सहयोगी ने पूछा, “इतना सख्त कदम क्यों उठा रहे हैं? इतनी बुरी तरह इसे बेइज्जत भी क्यों कर रहे हैं वो भी हम सबके सामने,” इस पर प्रिंसिपल तुनककर बोले, “मैडम, ये हमारे स्कूल का मामला है। आप देखल न दें तो ही ठीक है।” इस पर हमारी सहयोगी ने कहा, “आपमें से कोई इसके सिर पर चपत मार रहा है, कोई बुरी तरह डाँट रहा है। अरे, गलती की है तो आप समझा भी तो सकते हैं। ये कोई तरीका है किसी बच्चे से ऐसा बर्ताव करने का,” इस पर प्रिंसिपल का क्रोध और बढ़ गया, “ये लोग जिस तबके से आते हैं, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ----- का बेटा है, इसका पढ़ने-

लिखने में क्या मन लगेगा” जब हमारे और प्रिंसिपल के बीच बहस बढ़ी तो प्रिंसिपल को भी लगा कि उनके द्वारा छात्र को निष्कासित करने से मामला बिगड़ भी सकता है। आखिरकर उन्होंने छात्र से कहा, “अबकी बार तो माफ़ कर दिया, आगे से माफ़ी नहीं मिलेगी।” मुझे आज भी उस छात्र का शर्मिंदगी भरा चेहरा याद है और साथ ही याद आता है उसका बार-बार माफ़ी माँगते हुए गिड़गिड़ाना, “सर, प्लीज माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।” हम अकसर सबसे समान व्यवहार की बात करते हैं। सभी कार्यों को सम्मान की नज़र से देखने की वकालत भी हम करते हैं। फिर विद्यालयों में बच्चों से ऐसा भेदभाव भरा बर्ताव क्यों किया जाता है? ऐसा करने पर क्या हम बच्चों की ही नज़रों में उनके माता-पिता के काम को कमतर देखने की भावना नहीं विकसित करते?

शिक्षक बच्चों से तो उम्मीद करते हैं कि वे उनका आदर करें लेकिन कहीं भूल जाते हैं कि बच्चे भी उनसे प्यार और सम्मान चाहते हैं। शिक्षिका के कड़वे ताने का ही शिकार बनी थी एक छात्रा, जिसने रोज-रोज़ के तानों से तंग आकर अपना विषय ही बदलवा लिया था। नाम था उसका रूपवती। अपने नाम के वह सर्वथा विपरीत दिखती थी। रोज शिक्षिका जब उपस्थिति लेती तो उसका नाम पुकारकर बड़े व्यंग्य से उसकी ओर देखतीं। उनकी विद्रूप मुस्कान रूपवती के साथ सभी बच्चों के मनो को भेद देती। पर बच्चे कुछ न कह पाते। रोज रूपवती की आँखों में उनकी कक्षा में आँसू आ जाते। आखिर एक दिन रूपवती ने वह विषय ही छोड़ दिया जबकि विषय में उसकी बहुत रुचि थी।

कभी शिक्षक जान-बूझकर ऐसा करते हैं तो कभी अनजाने में ही उनसे ऐसी नासमझी भरी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। एक बार मैं एक स्कूल में गई। वहाँ मैंने देखा कि पाँचवीं कक्षा में कुछ छात्राएँ बेंच पर बैठी हैं तो कुछ नीचे ज़मीन पर। मैंने पूछा, “ये नीचे क्यों बैठी हैं?” शिक्षिका कुछ कहती, इससे पहले ही बेंच पर बैठी एक छात्रा तपाक से बोली, “मैडम जी, ये सब नालायक हैं।” मैं सोच रही थी कि शिक्षिका इस छात्रा को डाँटेंगी पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब शिक्षिका ने भी उस छात्रा का समर्थन किया, “हाँ मैडम, ये सब नालायक हैं। पाँचवीं में आ गई हैं। लेकिन कुछ पढ़ना-लिखना नहीं आता है। इसीलिए सबको नीचे बैठाया है।” मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, “तो क्या नीचे बैठने से इन्हें पढ़ना-लिखना आ जाएगा। इसके लिए तो आपको इनका साथ देना होगा।” इस पर शिक्षिका बोली, “मैडम, आप नहीं जानतीं ये कितनी नालायक हैं। इनके घर में कोई पढ़ा-लिखा है जो ये पढ़ेंगी। ये तो मिड- डे- मील के चक्कर में स्कूल आ जाती हैं।” मैंने लड़कियों की ओर देखा तो मेरे (एक बाहर से आई मैडम के) सामने अपनी बेईज्जती होती देख उन्होंने सिर झुका लिए।

इसी कक्षा में एक लड़की बहुत सुंदर चित्र बना रही थी। मैंने चित्र की तारीफ़ की तो शिक्षिका भी उसकी तारीफ़ करती हुई बोलीं, “बड़ी होशियार लड़की है। दिखने में भी कितनी सुंदर है ना! पर बेचारी की माँ को इसका बाप रोज़ शराब पीकर खूब पीटता है।” उस लड़की के रूप और गुण की शिक्षिका ने जी भरकर तारीफ़ की थी पर अपने परिवार पर की गई टिप्पणी की वजह से लड़की का सिर गर्व से ऊँचा

नहीं बल्कि शर्म से नीचा हो गया था। शिक्षिका के नासमझी भरे भाषायी व्यवहार के कारण भरी कक्षा में लड़की शर्मिंदगी महसूस कर रही थी।

विद्यालयों में बच्चों में जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास की दिशा में भी शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा अहम भूमिका निभाती है।

जेंडर का मुद्दा मानवता का मुद्दा है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि बचपन से ही बच्चों को जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों से दूर रखा जाए, उन्हें पढ़ने के लिए ऐसी सामग्री दी जाए जो कि जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिनमें लड़के-लड़कियों सभी को समान रूप से भाग लेने के अवसर मिलें तो बच्चे जेंडर संबंधी स्वस्थ मानसिकता के साथ बढ़ेंगे। लेकिन क्या केवल पाठ्यपुस्तकों में ही नारी की सकारात्मक छवि विद्यालय में पढ़ने वाली नन्हीं बालिकाओं के हृदयों में आत्मविश्वास, भविष्य में कुछ करने की, आगे बढ़ने की ललक उत्पन्न कर सकती है। हम पाठ्यपुस्तकों के विकास के दौरान कितनी ही सावधानी क्यों न बरत लें, महिलाओं के योगदान की चर्चा पर पाठ भी शामिल कर लें लेकिन शिक्षकों के भाषायी व्यवहार में निहित जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह जब तक दूर नहीं होंगे, बच्चों में जेंडर के मुद्दे को लेकर स्वस्थ मानसिकता विकसित करने की राह में बाधाएँ बनी ही रहेंगी। सहशिक्षा वाले विद्यालयों में कुछ जुमले अक्सर देखने-सुनने को मिलते हैं –

- क्या लड़कियों की तरह सिर झुकाए खड़ा है?

- इन्हें देखो, कुछ कहो तो जनाब लड़कियों की तरह शरमाते हैं?
- ए लड़की! क्या लड़कों की तरह उछल-कूद करती रहती है।
- कबड्डी तो लड़कों का खेल है। प्रतियोगिता में केवल लड़के ही भाग लेंगे।
- ए लड़के! तू क्या लड़की है जो क्रीम लगाकर आता है।

ये तो कुछ बानगियाँ हैं। वहीं पर केवल बालिकाओं वाले विद्यालयों में भी कुछ शिक्षिकाएँ बालिकाओं को संबोधित करते समय ऐसे-ऐसे जुमले कसती हैं कि कई बार शर्म से सिर झुक जाता है कि ऐसा भी होता है हमारे स्कूलों में।

यह सोचकर कि क्या सभी स्कूलों में बच्चों से इसी प्रकार की भाषा में व्यवहार किया जाता है, मैंने अनौपचारिक रूप से कई स्कूलों के बच्चों से बातचीत की। बातचीत में जो बातें उभर कर आईं, वह चौंकाने वाली थीं। एक छात्रा ने बताया, “हमारी टीचर को तो अच्छी तरह प्यार से बात करना जैसे आता ही नहीं। एक दिन मेरी सहेली मीरा की बहन की शादी थी। मीरा स्कूल भी सज-धज कर आई थी। टीचर ने उसे देखते ही डाँटना शुरू कर दिया, “ये क्या इतना मेकअप पोत कर आई हो? नौटंकी करने जाना है क्या?” टीचर जी की बात सुनकर हम सब स्तब्ध रह गए। मीरा तो फूट-फूटकर रो पड़ी। आप ही बताइए सज-सँवरकर आना क्या इतना बड़ा गुनाह है? इसी बात को वह प्यार से भी तो समझा सकती थीं। पढ़ाते समय तो टीचर जी बड़ी-बड़ी आदर्श की बातें

करती हैं, लेकिन वैसे बहुत ही खराब तरीके से बातें करती हैं।”

शिक्षक-शिक्षिकाओं के ये वाक्य संबोधित किए जाने वाले बच्चों को विद्यालय में हास्य के पात्र बना देते हैं जिसका दुष्परिणाम उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। ऐसे संबोधन बच्चों के मनोमस्तिष्क में इस धारणा को भी बलवती करते हैं कि शर्माना, रोना, श्रृंगार करना, सिर झुकाना आदि तो लड़कियों का स्वभाव/व्यवहार है। लड़कियों को खेल भी वही खेलने चाहिए जो उनके लिए ही बनाए गए हैं जैसे – रस्सी कूद, छुपन-छुपाई आदि। कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट जैसे खेल तो केवल लड़कों के ही खेलने के लिए हैं।

शिक्षक/शिक्षिकाओं के इस प्रकार के संबोधन जेंडर संबंधी रूढ़िग्रस्त मानसिकता के परिचायक हैं जो बच्चों के कोमल हृदय तथा मस्तिष्क में जेंडर के मुद्दे को लेकर नकारात्मक नज़रिए के बीज बोते हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में (सेवापूर्व तथा सेवारत) कक्षा/विद्यालय में किस प्रकार का भाषायी व्यवहार होना चाहिए, इस पर अवश्य चर्चा हो।

शिक्षकों के बच्चों के साथ किए गए भाषायी व्यवहार क्या हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करते कि क्या प्यार भरा भाषायी व्यवहार बच्चों का अधिकार नहीं है? कब मिलेगा बच्चों को यह अधिकार? सरकार ने तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया लेकिन हमारे शिक्षक साथी समान भाषायी व्यवहार का अधिकार कब बच्चों को देंगे?

सेवापूर्व शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक पेपर बालमनोविज्ञान का रहता है। फिर कक्षाओं में प्रविष्ट

होते ही हमारे बहुत से शिक्षक साथी बाल हृदयों को क्यों आए दिन आहत करते रहते हैं? कहाँ तिरोहित हो जाते हैं बाल मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत? यह हम सभी को सोचना होगा और कक्षाओं में बच्चों के साथ हो रहे भाषायी दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कदम भी उठाने होंगे तभी हम सही मायनों में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे पाएँगे।



पृष्ठ सं. 71 में परख के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं –

परख (वर्ग पहेली) के उत्तर

1. गिजुभाई बधेका, 2. बुनियादी शिक्षा, 3. शिक्षा का अधिकार, 4. सब पढ़े सब बढ़े, 5. मातृभाषा 6. केब, 7. दिवास्वप्न, 8. मीरा, 9. ज्ञानपीठ, 10, वामा, 11. मारिया, 12. कोठारी, 13. 1986